

Recognised by Govt. of Rajasthan and affiliated To Jai Narain Vyas University, Jodhpur

# श्री रघुनाथ विश्नोई मेमोरियल कॉलेज

# रानीवाड़ा (जालोर)


फोन 02990.232080 मो. 9829814801, 9413655501, 9414588001

email: rvmcraniwara@gmail.com



# आवश्यक निर्देश

शिक्षार्थी एवं अभिभावक आवेदन-पत्र प्राप्त करने के पश्चात इस निर्देशिका में निर्दिष्ट नियमों को ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के बाद अपना आवेदन-पत्र संबन्धित संलग्नकों के साथ महाविद्यालय में जमा करवाएगें। निर्देशिका में निर्दिष्ट नियमों का पालन न करने पर आपका प्रवेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता हैं।



(Shri Raghunath Bishnoi Taking oath for Cabinet Minister, Govt. of Rajasthan)

# Shri Raghunath Bishnoi (1927-1989)

Belonging to illiterate agricultural family, he did his higher education (B.A., L.L.B.) from jodhpur despite all odds. From 1952- 1989 he represented Congress party in legislative elections of Rajasthan. He won five times and also served Rajasthan as Minister of Health, Law, Parliamentery affairs and Elections of Government of Rajasthan.

Education, Healthcare, farming, clean drinking water and electricity were his core issues. He did exemplary work towards bringing water of Narmada Canal to Rajasthan with the help of Govt. of Rajasthan. He was able to persuade Govt. of Rajasthan and Central leadership to make Rajasthan as a Party in the proceedings of Narmada Water Disputes Tribunal(NWDT) in 1969 of which Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra were original parties. The Rajasthan link of Narmada canal is 74 kms long and flows almost entirely through Sanchore; the assembly represented by him and some party in Barmer as well.







#### आमुख



प्रिय विद्यार्थियों,

इतिहास प्रसिद्ध रानीवाड़ा नगर के इस गरिमामय महाविद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत हैं नवीन सत्र शुभारंभ की पवित्र वेला पर श्री रघुनाथ विश्नोई मेमोरियल कॉलेज रानीवाड़ा परिवार, समस्त छात्र-छात्राओं, शिक्षाविदों एवं अभिभावकों का उत्तम श्रेष्ठ आदर्श, उच्च शिक्षा, दृढ़ संकल्प, कठोर मेहनत एवं अनुशासन के लिए हृदय से अभिनंदन करता है। हमारा निरंतर यह प्रयास रहा है कि सभी शिक्षार्थियों को प्रेरणायुक्त वातावरण की रूचि के विषयों में उच्च स्तरीय व गुणात्मक शिक्षा मिले, जिससे वे अपने व्यक्तित्व के समुचित विकास के साथ-साथ कैरियर के क्षेत्र में भी वांछित लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें।

दृढ़ संकल्प अथक परिश्रम एवं अनुशासनबद्ध विद्यार्थी जीवन का निर्वाह करते हुए आप सफलता के उच्चतम शिखर पर आरूढ़ होने का प्रयास करेगें, ऐसा मेरा विश्वास है। महाविद्यालय की समस्त शैक्षणिक, सह-शैक्षणिक एवं जीवनोपयोगी विविध गतिविधियों में रूचिपूर्वक निरन्तर रहकर आप अपने व्यक्तिव का सर्वागीण विकास करे। श्रद्धा विश्वास एवं विनयपूर्वक अपने विद्वान गुरूजनों के मार्गदर्शन एवं सान्निध्य में अध्ययन करते हुए आप महाविद्यालय के गौरव में अभिवृद्धि करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ।

एक बार पुनः आपके उज्ज्वल, सुखद एवं संपन्न भविष्य की शुभकामनाओं सहित आपका इस महाविद्यालय में हार्दिक स्वागत है।

> नरेन्द्रकुमार विश्नोई प्रधानसंरक्षक



#### Message



Shri Raghunath Bishnoi Memorial Collage is an initiative of Shri Raghunath Bishnoi Seva Sansthan to provide accessible and quality tertiary education to rural students near the Raniwara village in the Jalore District of Rajasthan State. The college is located in the Raniwara village in a sprawling green campus and is fully recognized by the government of Rajasthan. It is

affiliated to Jai Narain Vyas University, Jodhpur

Shri Raghunath Bishnoi (SRB) Seva Sansthan is a non-profit trust that aims to improve access to quality education, healthcare and farming practices in rural Rajasthan (India). The inspiration behind the Trust is the life of late Shri Raghunath Bishnoi.

Shri Raghunath Bishnoi was Member of Legislative Assembly of Rajasthan State from 1962-1980 and Health Minister of Rajasthan from 1985-1989. He was an exemlpary statesman who made tramendous contributions for the development of Rajasthan State, particularly in the fields of education, healthcare and farming. Shri Raghunath Bishnoi Seva Sansthan is committed to continuing his life's work with his spirit of excellence, hard-work, Unwavering honest great dedication to improving lives of people in rural Rajasthan.

The idea of Shri Raghunath Bishnoi Memorial College was conceptualized In December 2005 and through the efforts of Management Team that idea became an operational 60 seat college offering 2 degree courses in 2006-2007. Today Shri Raghunath Bishnoi Memorial College is a 1480 seat college which offers 2 degree courses and numerous scholarship.

Currently the college has extra lecture halls and a fully equipped computer lab; expansion plans are underway to build new library and amphitheater.

> Rohit Bishnoi Director



### एक नजर में महाविद्यालय



आधुनिक पश्चिमी राजस्थान विशेषतया जालोर जिले के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले श्रद्धेय स्व. श्री रघुनाथजी की दूरदर्शिता का सुपरिणाम है यह कॉलेज स्व श्री रघुनाथजी पूर्व मंत्री की स्मृति को अक्षुण रखने का इससे अच्छा कार्य क्या हो सकता था महाविद्यालय की स्थापना 16 जून 2006 को हुई थी तथा 30 जून 2013 को स्थाई मान्यता प्राप्त हुई जो की पश्चिमी राजस्थान का एक मात्र महाविद्यालय है जो अभी अपने 12 वें वर्ष प्रवेश कर चुका है। इस अविध में कई उपलब्धि अर्जित की है यह महाविद्यालय पश्चिम राजस्थान का श्रेष्ठ महाविद्यालय में गिना जाता है।

अभी महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर बी.ए. एवं बीसी.ए. व बी. ए. बीएड एवं बी.एड. पाठ्यक्रमों में अध्ययन की व्यवस्था है यह पाठ्यक्रम जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। महाविद्यालय की लोकप्रियता का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु छात्र / छात्रों की प्रथम वरीयता श्री रघुनाथ विश्नोई मेमोरियल कॉलेज ही होती है। भूगोल, गृह विज्ञान एवं कम्प्यूटर विज्ञान विषयों हेतु आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित विभिन्न प्रयोगशालाओं की व्यवस्था महाविद्यालय में है।

राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय की उपलब्धियाँ उल्लेखनीय है। प्रतिवर्ष महाविद्यालय के स्वयं सेवकों द्वारा रचनात्मक कार्य किये जाते है। जिनके द्वारा गोद ली गई बस्तियों में नियमित रूप से प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ-सफाई, वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलते है। सात दिवसीय विशेष शिविर में छात्रों की सिक्रय भागीदारी इन्हें सदैव सफल बनाती है।

साहित्यक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने हेतु वाद विवाद, किवता कहानी, निबन्ध प्रतियोगितां साहित्य परिषद् की और से आयोजित की जाती है। सह-शैक्षणिक गतिविधियो में महाविद्यालय द्वारा हिन्दी वाद-विवाद, अंग्रेजी वाद-विवाद एवं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता।

महाविद्यालय में शुरूआती वर्ष में सत्र 2006-07 में 38 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया था। वर्ष 2007-08 में 78, 2008-09 में 188 तथा वर्ष 2009-10 में 347 एवं वर्ष 2010-11 में 444, 2011-12 में 550 एवं वर्ष 2012-13 में 725 एवं 2013-14 में 849 एवं वर्ष 2014-15 में 1032 एवं 2015-16 में 1186 एवं वर्ष 2016-17 में 1254 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया तथा साथ ही गत तीनो वर्षों का परीक्षा परिणाम भी शत् प्रतिशत रहा । महाविद्यालय के छात्रों की परीक्षा केन्द्र सम्बंधी समस्या को ध्यान में रखते हुए महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के माननीय कुलपित महोदय ने श्री रघुनाथ विश्नोई मेमोरियल कॉलेज का सत्र 2009-10 से विश्व विद्यालय परीक्षा केन्द्र बना दिया गया है। तथा 2013-14 से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का परीक्षा केन्द्र एवं अग्रेषण केन्द्र भी है।

श्री विश्नोई ने जो स्वप्न देखा था महाविद्यालय परिवार उसे साकार कर रहा है। उनका कहना था कि सफलता मंजिल नहीं है अपितु एक सतत यात्रा है। ज्ञान की शक्ति से हम तकनीक आधारित समाज का निर्माण तो करें परन्तु साथ ही मानवीय मूल्यों को ना भूलें। तकनीक और मानवीयता हमें सम्पूर्णता प्रदान करती है। इसी स्वप्न को दृष्टिगत रखते हुए महाविद्यालय अपने सामाजिक सरोकारों और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे ढंग से निभा रहा है।

डॉ. भागीरथ विश्नोई



## **Management Team**



नरेन्द्र विश्नोई (M.A. LLB) संरक्षक

पूर्व में आप बाल कल्याण सिमित जालोर के अध्यक्ष व जिला परिषद् जालोर के सदस्य है। पूर्व में सांचौर के प्रधान, भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष, जिला परिषद् जालोर के प्रमुख, जालोर उपभोक्ता मंच के सदस्य एवं अखिल भारतीय कृषि अनुसंधन परिषद् भारत के सदस्य के रूप में कार्य कर चुके है। आप इन सभी अनुभवों का लाभ संस्था को संरक्षक के तौर पर दे रहे है।



रोहित विश्नोई (Elec. & Tele. Engg.)

वर्तमान में संस्था में निदेशक पद पर कार्यरत है एवं 8 वर्षों से रानीवाड़ा व आस पास के पिछडे क्षेत्रों में शिक्षा के विकास हेतु कार्य कर रहे है। आपको पटनी कम्प्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर व ग्रनाईट खनन जैसे क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव है। आपचीन व सिंगापुर का विदेश भ्रमण भी कर चुके है।



डॉ. भागीरथ विश्नोई (Ph.D. M.A. B.Ed. )

आप शुरू से ही श्री रघुनाथ विश्नोई सेवा संस्थान से जुडे हुए है एवं वर्तमान में संस्था में सचिव पद पर कार्यरत है। आपने शरणार्थी एवं मानवाधिकार में शोध कार्य किया। आपको शिक्षा के विस्तार और शोध जैसे विषयों में गहरी रूचि है।



डॉ. सत्येन्द्रकुमार ऊब्बा (Med, NET. Ph.D.)

आप 2010 से श्री रघुनाथ विश्नोई मेमोरियल कॉलेज से जुडे हुए है एवं वर्तमान में प्राचार्य पद पर कार्यरत है। आपने भूगोल ''शिक्षा मे बहुलवाद एवं एकता एक बहुलवाद समाज में लोकतांत्रिक नागरिकता और व्यक्तिगत स्वायत्तता के लिए शिक्षा'' नामक विषय पर शोध कार्य किया है। आप M.A. भूगोल में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से गोल्ड मेडलिस्ट है।



#### शैक्षणिक आयाम

यह महाविद्यालय जय नारायण व्यास विश्व विद्यालय जोधपुर से सम्बद्ध है।
 यहाँ कला संकाय (Arts Faculty) और बी.सी.ए. संकाय (Computer Faculity) में निम्न
 विषयों की व्यवस्था है।

### कला संकाय (BA)

(A) अनिवार्य विषय

1. सामान्य हिन्दी या सामान्य अंग्रेजी

2. पर्यावरण अध्ययन

(B) ऐच्छिक विषय

1. हिन्दी साहित्य

2. इतिहास

3. भूगोल

4. राजनीति विज्ञान

5. संस्कृत साहित्य

6. समाज शास्त्र

7. लोक प्रशासन

8. अंग्रेजी साहित्य

९. अर्थशास्त्र

10. गृह विज्ञान

- अनिवार्य विषय में हिन्दी या अंग्रेजी मे से एक विषय का चयन करना है एवं पर्यावरण अध्ययन का चयन जरूरी है।
- ऐच्छिक विषय मे से किन्ही तीन विषयों का चयन करें।

#### बी.सी.ए. पाठ्यक्रम

#### B.C.A. Part-Ist

Fundamentals of Computers, Mathematics. "C" Programming, Internet Technology Digital logic & Electronics, MS Office, Environmental Studies.

#### **B.C.A. Part-IIst**

Operating System, Data Structures & Algorithms. Programming with C++, Computer System Architecture, Database Management System, Oracle SQL, Visual Programming With Dot Net, 8085 Microprocessor

#### **B.C.A. Part-Illst**

Java Programming, Multimedia Tools, ASP Dot Net, Computer Networks, Web Technologies, System Analysis & Design, Communication Skills in English Project work, Seminar Presentation.

- बी.सी.ए. तीन वर्षीय डिग्री कोर्स है। यह बी.ए., बी.कॉम., बीएस.सी. के समकक्ष।
- बी.सी.ए. Professional Course है BCA डिग्रीधारी विद्यार्थियों को निजी, सरकारी एवं मल्टीनेशनल कम्पनियों में Job के बहुत अवसर है।
- BCA में अध्ययन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों से किया जाता है।



#### **ACADEMIC CALENDER**

The Academic Calender declared at the beginning of Academic Session will Following be all teaching Departments of the College. All the state Government holidays will be applicable to the College. Local holidays will be as per the discrection of the District Administration Jalore.

Opening of the session: Second Theresday of June

Diwali Break : As per D.C.E. (Raj.)
Winter Vacation : As per D.C.E. (Raj.)

Last teaching Day: Second last day before main Exam

# College Fee (Common for all Students) B.A.

Admission Fee	500.00
Tution Fee	7500.00
University Affiliation Fee	500.00
University Development Fee	300.00
University Sport Fee	50.00
Identity Card Fee	20.00
Total Fee	8870

#### **B.C.A.** Course Fee Details

Admission Fee	500.00
Tution Fee	22500.00
University Affiliation Fee	500.00
University Development Fee	300.00
University Sport Fee	50.00
Identity Card Fee	20.00
Total Fee	23870

#### **Courses Offered**

B.A. B.C.A. B.Ed ( 2 Year)
B.A. B.Ed. (4 Year) B.Sc. B.Ed. (4 Year)

नोट : वे छात्र/छात्राये एस.सी./एस.टी./एस.बीसी/ओबीसी( बीपीएल ) परिवार से है तथा राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता रखने पर मेट्रीक छात्रवृति प्रदान की जाती है निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर फीस का पुनः भरण समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा ।



### प्रवेशार्थियों हेतु आवश्यक निर्देश

- प्रवेश हेतु निर्धारित आवेदन-पत्र में ही आवेदन करे। आवेदन-पत्र की कीमत 100/- रूपये एवं डाक से मंगवाने पर 150/- रूपये।
  - (अ) निर्धारित तिथि तक ही आवेदन पत्रों का पंजीकरण किया जाएगा।
- 2. अावेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न करने आवश्यक है।
  - (अ) उच्च माध्यिमक परीक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका एवं दो सत्यापित प्रतिलिपि।
  - ( ब ) स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र एवं दो सत्यापित प्रतिलिपि।
  - (स) गत संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र।
  - (द) माता-पिता की आय का प्रमाण-पत्र।
  - (य) जाति प्रमाण-पत्र की एक सत्यापित प्रतिलिपि।
  - (र) माइग्रेशन (प्रवर्जन) प्रमाण-पत्र।
  - (ल) आधार कार्ड की एक सत्यापित प्रतिलिपि।
  - (व) मूल निवास प्रमाण-पत्र की एक सत्यापित प्रतिलिपि।
- विश्वविद्यालय से एनरोलमेंट ( पंजीयन ) के लिए निर्धारित प्रपत्र भरकर प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ ही
  देना होगा।
- 4. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत होने पर ही प्रवेश अंतिम रूप में मान्य समक्ष जाएगा।
- 5. विभिन्न संकाय में प्रवेश हेतु निर्धारित पात्रता प्रतिशत के ही आवेदन पत्रों को जमा किया जाएगा। निर्धारित पात्रता प्रतिशत से कम प्रतिशत वाले आवेदन पत्र जमा नहीं किए जाएगें।
- 6. स्नात्तक प्रथम वर्ष के समस्त विद्यार्थियों के लिए सामान्य हिन्दी/अंग्रेजी एवं पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य है।
- नियमित छात्र के रूप में परीक्षा मे बैठने हेतु विश्वविद्यालय नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। प्रायोगिक परीक्षा मे भी यह शर्ते लागू रहेगी।
- 9. अध्ययन काल में यदि आप आर्थिक लाभ वाला कोई कार्य स्वीकार करते है तो उसकी सूचना महाविद्यालय को अनिवार्य रूप से देनी होगा।

7



#### अनुशासन

- विद्यार्थियों को महाविद्यालय मे सदैव अपना परिचय पत्र साथ लाना होगा।
- 2. प्राचार्य एवं स्टाफ कक्ष तथा कार्यालय में बिना अनुमति प्रवेश नहीं करे।
- रिक्त कालांश में पुस्तकालय में समाचार पत्रों एवं ज्ञानवर्द्धक पुस्तकों को पढकर समय का सदुपयोग करे।
- 4. महाविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी अथवा सहपाठी से शालीनता का व्यवहार करे। दुर्व्यवहार या दुराचरण करने पर विश्वविद्यालय अध्यादेश संख्या 88 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में माना जाकर महाविद्यालय से निलंबित/निष्कासित किया जा सकता हैं एवं विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने के अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- 5. किसी भी छात्र के विरूद्ध न्यायालय में फौजदारी मामला होने पर उसे निलंबित ⁄निष्कासित किया जा सकता है।
- 6. महाविद्यालय में धुम्रपान, शराब चरस, गांजा, गुटखा व अन्य मादक पदार्थों का सेवन करना या करके आना दण्डनीय अपराध है।
- 7. महाविद्यालय में विद्यार्थी द्वारा जमा करवाया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस देय नही होगा।
- 8. विद्यार्थी अपनी साईकिल, मोटरसाईकिल इत्यादि वाहन पार्किंग स्थल पर ताला लगाकर पार्क करे वाहनों की जिम्मेदारी छात्र स्वंय की होगी।
- 9. सभी प्रसंगो का न्याय क्षेत्र रानीवाड़ा ही रहेगा।

# कम्प्यूटर शिक्षण

महाविद्यालय में आई. टी. ज्ञान केन्द्र भी संचालित है जिसमें अत्याधुनिक कम्प्यूटर लेब स्थापित है। जिसमें RS-CIT, CCC व Tally ERP 9 & Taxation के कोर्स उपलब्ध है। कम्प्यूटर शिक्षा के लिए छात्र /छात्राएं कम्प्यूटर शिक्षा समन्वयक से संपर्क कर सकते है।

### सह-शैक्षिक गतिविधियां

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीय चेतना व सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की जाएगी।

- 1. श्रमदान 2. रक्तदान 3. वृक्षारोपण 4. प्राथमिक चिकित्सा शिविर 5. परिसर सौन्दर्यकरण 6 सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संगोष्ठियों आदि का आयोजन कर जागरूकता लाना ।
- 7. एड्स जैसी असाध्य बीमारियों के प्रति जागरूकता लाना 8. गरीब/कच्ची बस्तियां एवं पिछडे गाँवों को गोद लेना । 9. प्रौढ शिक्षा तथा साक्षरता का प्रसार करना 10. पर्यावरण चेतना
- 11. रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम आदि।



कार्यक्रम को इस प्रकार आयोजित किया जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी विशेष शिविर के अतिरिक्त सत्र भार में 120 घंटे उपर्युक्त गतिविधियों में व्यतीत कर सकते है। इसके लिए छात्र-छात्राएं एनएसएस प्रभारी से संपर्क कर सकते है।

#### योजना मंच

देश के विकास के लिए बनाई गई सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं से छात्रों को अवगत कराने तथा विभिन्न गतिविधियों के आयोजन मंच का गठन किया गया है। इसके दौरान आर्थिक सर्वेक्षण, शैक्षिक भ्रमण, वाद-विवाद प्रतियोगिता निबंध प्रतियोगिता, चार्ट प्रतियोगिता, आशु भाषण प्रतियोगिता तथा योजना संबंधी विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते है। योजना मंच की कार्यकारिणी का गठन सदस्यों में से शैक्षणिक आधार पर किया जाता है। इसका वार्षिक सदस्यता शुल्क 50 रूपए है।

### खेलकूद

महाविद्यालय में छात्रों की मानसिक योग्यता के साथ-साथ शारीरिक योग्यता को विकसित करने हेतु विभिन्न खेलों हेतु मैदान एवं खेल सामग्री उपलब्ध है।

# छात्र संघ परिषद्

महाविद्यालय में प्रति वर्ष छात्र परिषद् का गठन उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार किया जाएगा।

#### छात्रा प्रकोष्ठ

इस प्रकोष्ठ के माध्यम से सामाजिक बुराईयों के उन्मूलन हेतु प्रयास व विचार-विमर्श किया जाता है। बदलते परिवेश में नारी के सामाजिक दायित्व के निर्वहन के साथ-साथ अपनी अस्मिता की रक्षा का सृदृढ़ आधार बनाना इस प्रकोष्ठ का उद्देश्य है। छात्राओं के सर्वागीण विकास हेतु इस प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

# शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क

शिक्षण शुल्क कुछ वर्ग के विद्यार्थियों को छोडकर समस्त सामान्य छात्रों से उनके पिता/ अभिभावक की आय समूह के अनुसार लिया जाएगा।



#### प्रवेश नीति

# स्नात्तक पाठ्यक्रम महाविद्यालय में प्रवेश के नियम

1.1 उपयुक्त संकायों में स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम भाग में प्रवेश हेतु मानदण्ड

क्र.सं.	प्रवेशार्थियों का प्रकार	मानदण्ड
अ.	राजस्थान में अवस्थित किसी भी विद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राजस्थान के निवासी ( पंचम भाग के नियम-2 में परिभाषित ) राजस्थान राज्य के अलावा अन्य किसी स्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो ।	
ন.	राजस्थान के बाहर के ऐसे अभ्यार्थी जो राजस्थान के अलावा अन्य कि स्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा राजस्थान के निवासी न हो ।	सी

1.2 स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश की पात्रता (बी.ए./बी.सी.ए. - सामान्य एवं पाठ्यक्रम)

•
सकाय

अर्हकारी परीक्षा मे न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत

		सामान्य पाठ्यक्रम	ऑनर्स पाठ्यक्रम
अ.	कला	48%	50%
অ.	बी सी ए	48%	50%

#### टिप्पणियों

- 1. महाविद्यालय में समस्त प्रवेश योग्य छात्रों को प्रवेश देने के उपरान्त भी यदि किसी कक्षा वर्ग में स्थान रिक्त रहते है तो उन्हे आयुक्त कॉलेज शिक्षा को सूचित करते हुए उपयुक्त पात्रता में 3 प्रतिशत तक छूट देकर वरीयता क्रम में भरा जा सकेगा ।
- 2. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में उच्च माध्यिमक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को केवल कला एवं वाणिज्य में ही प्रवेश दिया जा सकेगा, ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश योग्य सूची में वरीयता निर्धारित करने हेतु कुल प्राप्तांकों में अर्हकारी परीक्षा के अधिकतम अंको का 5 प्रतिशत घटा दिया जायेगा।



- 3. कला संकाय की प्रत्येक कक्षा / विषय के एक वर्ग में 80 विद्यार्थियों एवं विज्ञान संकाय की प्रत्येक कक्षा / विषय के एक वर्ग में कुल 70 विद्यार्थियो तक प्रवेश दिया जा सकता है। प्रत्येक कक्षा / विषय में अधिकतम वर्गो की संख्या महाविद्यालय में उस विषय के व्याख्याताओं के वर्तमान स्वीकृत पदों के अधिकतम निर्धारित कार्यभार तक सीमित रहेगी।
- 4. स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में किसी कक्षा / विषय हेतु प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या 30 से कम ( मिहला महाविद्यालय के लिए 15 ) से कम रहने की स्थित में राज्य सरकार के स्पष्ट आदेश के बिना उस कक्षा / विषय को वर्तमान शिक्षण सत्र में जारी नहीं रखा जायगा, किन्तु जन जातिय जिलों में स्थित महाविद्यालयों के लिए निर्धारित न्यूनतम संख्या 25 प्रतिशत की छूट रहेगी।
- 5. विभिन्न संकायों के स्नात्तक प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के निम्नांकित संकायों के आवेदको को प्रवेश दिया जा सकेगा ।

		विद्यालय स्तर के अर्हकारी परीक्षा का संकाय
1.	कला	कोई भी संकाय
2.	बीसीए.	कोई भी संकाय

- (अ) किसी भी संकाय में प्रवेश के बाद अपने संकाय परिर्वतन के इच्छुक छात्रों के आवेदन पर तब ही विचार किया जा सकेगा जब इच्छित संख्या की कक्षा में स्थान रिक्त हो, तथा परिवर्तन के इच्छुक छात्र के अंक इच्छित कक्षा में अंतिम प्रविष्ट छात्र में अंको में कम न हों।
- (ब) उपयुक्त (अ) में अंकित शर्तों की पूर्ति के पश्चात् भी संकाय परिर्वतन केवल अग्रिमानुसार की स्वीकार्य होगा ।

कला संकाय से वाणिज्य संकाय वाणिज्य संकाय से कला संकाय कला एवं वाणिज्य संकाय से विज्ञान संकाय

- (स) जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में द्वितीय व तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को विषय परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है।
- (द) संकाय परिवर्तन प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन की अवधि में 50 रूपये संकाय ⁄विषय परिवर्तन शुल्क जमा कराने पर ही किया जा सकेगा।



- 1. अईकारी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी यदि किसी कारणवश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले वर्ष के पश्चातवर्ती दो अकादिमक सत्रों तक नियमित छात्र के रूप में किसी महाविद्यालय का विद्यार्थी नही रहा हो तो ऐसे अभ्यर्थी को भी स्नात्तक प्रथम भाग में प्रवेश दिया जा सकेगा ।
- 2. दो अकादिमक सत्रों से अधिक अंतराल व्यतीत होने के पश्चात् आवेदक को किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमित नहीं दी जायेगी ।
- 3. ऐसे छात्र जो किसी सत्र में शैक्षिक संस्था का नियमित छात्र अथवा किसी पाट्यक्रम का नियमित छात्र रहा हो उसकी सत्रावधि मे अंतराल की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- 4. अंतराल संबंधी उपर्युक्त नियम महिला अभ्यर्थियों पर लागू नही होगें।

# अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रवेश

एक बार नियमित प्रविष्ठ या स्वयंपाठी विद्यार्थी यदि अनुत्तीर्ण होता है या परीक्षा में नहीं बैठता है अथवा फॉर्म नहीं भरने के कारण परीक्षा में सिम्मिलत नहीं होता है अथवा उपस्थित की न्यूनता के कारण परीक्षा देने से वंचित किया जाता है तो उसी संकाय अथवा भिन्न संकाय की उसी कक्षा में पुन: प्रवेश नहीं दिया जाएगा, लेकिन यदि विद्यार्थी ने पिछले सत्र में महाविद्यालय के नियमित छात्र के रूप में अंतर विश्वविद्यालय/अंतर राज्यीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतयोगिता में भाग लिया हो उसको उसी कक्षा में एक बार पुन: प्रवेश दिया जा सकेगा। यदि कोई विद्यार्थी एक संकाय में स्नात्तक उपाधि प्राप्त करने के बाद पुन: अन्य संकाय के पार्ट प्रथम में प्रवेश लेने हेतु आवेदन करता है अथवा कोई विद्यार्थी किसी कक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए जाने के बाद अंक सुधार हेतु उसी कक्षा में प्रवेश लेने हेतु आवेदन करता है तो ऐसे छात्र को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

# पूरक परीक्षा के योग्य घोषित होने वाले अभ्यर्थी का प्रवेश

- 1. पूरक परीक्षा योग्य घोषित अभ्यर्थी आगे की कक्षा में निर्धारित तिथि तक प्रवेश ले सकेगें। यदि उन्होने प्रवेश की अंतिम तिथि तक प्रवेश नहीं लिया है तो उन्हें पूरक परीक्षा के परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने के बाद नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।
- 2. कला एवं वाणिज्य संकाय के पूरक परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यर्थियों को पूरक परीक्षा के विषय छोडकर अन्य विषयों में पात्रता अनुसार प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 3. अर्हकारी परीक्षा में परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यर्थी की पात्रता तथा योग्यता स्थान के निर्धारण के लिए पूक परीक्षा के विषय /पेपर मे अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के बजाय न्यूनतम उत्तीर्णक जोडे जायेगे।
- 4. पूरक परीक्षा योग्य घोषित ऐसे विद्यार्थी जिन्होने महाविद्यालय में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। उनके पूरक परीक्षा के परिणाम में अनुत्तीर्ण घोषित किए जाने पर उनका उक्त नियमित प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाएगा उसे कोई शुल्क लौटाया नही जायेगा।



# पूनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप उत्तीर्ण अथवा विलंब से परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में प्रवेश

किसी विद्यार्थी के उसकी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मुल्यांकन के फलस्वरूप अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की स्थिति में उसे अगली कक्षा में प्रवेश के लिए अनुमित दी जायेगी जब वह पुनर्मूल्यांकन के परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिन की अवधि के अथवा 31 दिसंबर तक ( जो भी पहले हो ) प्रवेश हेतु आवेदन करें। पुनर्मूल्यांकन के परिणाम 31 दिसंबर के बाद घोषित किए जाने की स्थिति में यदि विश्वविद्यालय नियमित प्रवेश दिए जाने की अंतिम तिथि ( 31 दिसंबर ) में शिथिलता प्रदान कर देता है, तो उसी के अनुसार महाविद्यालय में प्रवेश दिया जा सकेगा। ये प्रावधान स्नात्तक द्वितीय व तृतीय भाग में प्रवेश हेतु मान्य नहीं होगें।

#### स्वयंपाठी अभ्यर्थियों का प्रवेश :

स्नात्तक स्तर की कक्षाओं में स्वयंपाठी छात्रों को प्रवेश निम्नानुसार दिया जा सकेगें -

क्र.सं.	आवेदनकर्त्ता अभ्यर्थी	प्रवेश हेतु मानदण्ड
1	प्रथम भाग में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी।	निर्धारित न्यूनतम मानदण्डो के अनुरूप पात्रता होने पर प्रथम भाग में योग्यता सूची मे वरीयता के अनुसार प्रवेश देय होगा।
2	प्रथम भाग स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिसका कोई पेपर बकाया न हो।	न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक होने पर द्वितीय भाग में स्थान रिक्त होने पर प्रवेश देय होगा।
3	द्वितीय भाग स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिसका कोई पेपर बकाया न हो।	न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक होने पर तृतीय भाग में प्रवेश देय होगा।
4	प्रथम व द्वितीय भाग की परीक्षा स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ।	तृतीय भाग में प्रवेश देय नही होगा।

स्नात्तक द्वितीय एवं तृतीय भाग में स्वयंपाठी छात्रों के प्रवेश पर केवल उसी स्थिति में विचार किया जा सकेगा जबिक समस्त नियमित छात्रों को प्रवेश देने के उपरांत संबंधित कक्षा/वर्ग में स्थान रिक्त हो तथा वैकिल्पक विषयों का समूह महाविद्यालय में उपलब्ध हो।



#### स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश

- (अ-1) किसी नगर कस्बे में अवस्थित एक महाविद्यालय में प्रविष्ठ विद्यार्थी का उसी नगर के दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण किसी भी संकाय विषय में स्वीकार्य नहीं होगा।
- (अ-2)भिन्न-भिन्न स्थानों पर अवस्थित महाविद्यालय में भी एक से दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण की अनुमित माता-पिता तथा प्रथम प्रवेश के समय घोषित संरक्षक के स्थानान्तरण जैसी विशेष परिस्थिति में ही दी जाएगी, किन्तु माता-पिता के जीवित रहते अन्य कोई व्यक्ति संरक्षक नहीं हो सकेगा।
- (ब-1) माता-पिता / संरक्षक के अतिरिक्त अन्य किसी अभिभावक के स्थानान्तरण की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश इस आधार पर तभी स्वीकृत किया जा सकेगा, जबिक आवेदक के अंक इस सत्र में उस कक्षा में योग्यता क्रम में प्रविष्ठ अंतिम छात्र के अंको के बराबर हो या उससे अधिक हो तथा उस महाविद्यालय में रिक्त स्थान उपलब्ध है।
- (स) द्वितीय / तृतीय वर्ष स्नात्तक कक्षाओं में प्रवेश के लिए रिक्त स्थान होने पर सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार ही विचार किया जाएगा।

# पात्रता हेतु शिथिलता

सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के पश्चात् यदि कक्षा / विषय के स्वीकृत वर्ग में स्थान रिक्त रह जाता है तो (विधि संकाय को छोडकर) प्राचार्य ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेंगें जिनके कुल प्राप्तांक हेतु निर्धारित वांचित न्यूनतम पात्रता से केवल एक अंक कम हो।

# प्राथमिकताएं

- 1. यदि किसी कक्षा / विषय में लाभ के अंक प्राप्त छात्र और लाभ रहित अभ्यर्थी दोनो वरीयता सूची में समान योग्यता स्थान रखते हो तो उनमें लाभांश प्रतिशत से रहित छात्र को प्राथमिकता देते हुए उपलब्ध स्थान पर प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 2. यदि उच्च माध्यमिक परीक्षा के प्राप्तांक भी समान हो तो माध्यमिक परीक्षा में अधिक प्राप्तांक वाले छात्र को वरीयता दी जाएगी।
- यदि माध्यिमक परीक्षा के प्राप्तांक भी समान हो तो जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक हो उसे वरीयता दी जाएगी।



## आरक्षण, रियायतें एवं लाभ

अनुसूचित जाति/जनजाति/एसबीसी/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यार्थी

आरक्षण की स्थित राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी। विधि संकाय सिंहत प्रत्येक संकाय की स्नात्तक एवं स्नात्तकोत्तर स्तर कें प्रवेश हेतु अनुसुचित जाति/जनजाति/एसबीसी/अन्य पिछडा वर्ग (चिकनी परत को छोडकर) के अभ्यर्थियों के लिए क्रमशः 16 प्रतिशत, 12 प्रतिशत एवं 21 प्रतिशत विशेष पिछडा वर्ग 1 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगें। इसके लिए अभ्यर्थी को जिला मजिस्ट्रेट/उपखंड अधिकारी/सहायक कलेक्टर /तहसीलदार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- प्रत्येक संकाय के स्नात्तक प्रथम भाग की प्रत्येक कक्षा में तथा स्नात्तकोत्तर स्तर के प्रत्येक विषय/ कक्षा में उपर्युक्तानुसार स्थानों का आरक्षण किया जाएगा एवं तदनुसार पूर्ति की जाएगी।
- 2. सामान्य प्रवेश स्तर तक अंक प्राप्त करके प्रवेश पाने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग ) के विद्यार्थियों की गणना आरक्षित नियतांश (कोटे) के अंतर्गत नहीं की जाएगी। ये सभी सामान्य सूची में सम्मिलित किए हुए माने जाएंगे।
- 3. उपयुक्त ( 2 )के अनुसार प्रविष्ठ विद्यार्थियों के अतिरिक्त शेष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के प्रवेश योग्यता प्रतिशत को कम करते हुए वरीयता के निम्नगामी क्रम में आरक्षित नियतांश पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 4. अनुसूचित जाति/जनजाति/एसबीसी/अन्य पिछडा वर्ग आरक्षित स्थान प्रथमतः अनुसूचित जाति/ जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यार्थियों से ही भरे जाएगें।
- 5. यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/एसबीसी/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरिक्षत स्थानों की पूर्ति हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तथा समस्त आवेदन पत्रों पर प्रवेश संबंधी निर्णय लेने के उपरांत भी यदि उक्त आरिक्षत स्थान रिक्त रहते है तो ऐसे रिक्त स्थानों के लिए समाचार पत्र में सूचना दी जाएगी।
- 6. यदि सूचना के सात दिन में कोई आवेदन पत्र नहीं आता है या कम आवेदन पत्र आते है तो अनुसूचित जाति के आरिक्षत स्थानों को अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों से तथा इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के आरिक्षत स्थानों को अनुसूचित जन जाति के आरिक्षत स्थानों से भरा जा सकेगा।
- 7. इसके उपरांत भी यदि किसी आरक्षित वर्ग के स्थान रिक्त रहते है तो उन्हें सामान्य वर्ग के प्रतिक्षारत अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।



#### दिव्यांग अभ्यार्थी

- 1. प्रत्येक संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में 3 प्रतिशत स्थान दिव्यांग (विकलांग) अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रहेगें। यह आरक्षण सामान्य वर्ग सिहत सभी वर्गों में संबंधित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगा। दिव्यांग अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि को इसे सामान्य अभ्यर्थी से भरा जा सकेगा।
- 2. इस नियतांश में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को 3 प्रतिशत अतिरिक्त अंको को लाभ भी दिया जा सकेंगा, पंरतु उक्त लाभ किसी भी अभ्यर्थी को नियतांश (कोटा) भरने की पात्रता प्रदान करने हेतु ही देय होगा। योग्यता सूची में उच्च स्थान प्रदान करने के लिए नहीं।
- 3. दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए इस नियतांश में प्रवेश पाने हेतु दिव्यांग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस हेतु पुनर्वास केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा, किन्तु जहां पुनर्वास केन्द्र नहीं है वहां सी.एम.एण्ड एच.ओं अथवा इस हेतु अन्य अधिकृत समकक्ष चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
- 4. दिव्यांग अभ्यर्थी को प्रवेश में अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट देय होगा।

# खेलकूद/सह-शैक्षणिक/शिक्षणोंत्तर उपलब्धियों का लाभ

खेलकूद, एनसीसी, पर्वतारोहण, शिलारोहण एवं वालक्लाईबिंग, राष्ट्रीय सेवा योजना, रोवर, रेंजर, स्काउट, गाइड क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण को प्रथम प्रवेश के समय लाभ दिया जा सकेगा, बशर्ते अभ्यर्थी ने यह उपलब्धि विगत दो वर्षों में प्राप्त की हो। इसी प्रकार मृत राज्य कर्मचारी के पुत्र/पुत्री अथवा कॉलेज शिक्षा विभाग/ प्रतिरक्षा सेवाओं में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री एवं प्रतिरक्षा सेवाओं के सेवा पर रहते हुए शहीद कर्मचारीयों के पुत्र/पुत्री को अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण को प्रथम प्रवेश के समय भी लाभ दिया जा सकेगा। अंक लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ ही प्राचार्य को प्रस्तुत करना होगा,जिसके अभाव में उचित लाभ देय नहीं होगा।



# मैट्रिकोत्तर छात्रवृति कलेण्डर

क्र.स.         नाम छात्रकृता         प्रतान त्रावीतक पर्युक्ता को तिवाद क्रिक्त का का क्ष्म क्रिक्त का का क्षम क्रिक्त का का का क्षम क्रिक्त का क्षम क्रिक्त का क्षम क्रिक्त का क्षम क्रिक्त का का क्षम क्रिक्त क्रिक्त का का क्षम क्रिक्त क्रिक्त का का क्षम क्			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	5 1 11 5 11 6			
30 सितम्बर्ग   15 नवम्बर्ग   31 दिसम्बर्ग   15 जनवती	क्र.सं	·	नूतन∕नवीनीक रण छात्रवृत्ति आवेदन पत्र निदेशालय में पहुंचाने की तिथि	आवेदन पत्रों की जांच अवधि	जांच उपरांत निदेषालय द्वारा स्वीकृति जारी करने की अंतिम तिधि	बिल आहरित का डी.डी. बनवाकर भिजवाने की तिथि	संस्थाओं द्वारा छत्रत्रवृत्ति वितरण करने की तिथि
अत्रवृत्ति 30 सिताम्बर् 15 नवम्बर् 31 दिसम्बर् 15 जनवती   वृत्ति   30 सिताम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवती   वृत्ति   30 सिताम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवती   व्यक्तवृत्ति 30 सिताम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवती   व्यक्तवृत्ति 30 सिताम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवती   व्यक्तवृत्ति 30 सिताम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवती   व्यक्तवृत्ति 30 सिताम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवती   व्यक्तवृत्ति 30 सिताम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवती   व्यक्तवृत्ति 30 सिताम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवती   व्यक्तवित्ति को व्यक्तवित्ति 30 सिताम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवती   व्यक्तवित्ति को व्यक्तवित्ति व्यक्तवित्ति 30 सिताम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवती   व्यक्तवित्ति व्यक्तवित्ति व्यक्तवित्ति व्यक्तवित्ति व्यक्तवित्ति अवस्ति व्यक्तवित्ति वित्ति के तक समाज कत्व्याण्य वित्तास्ति वित्ति के तक तक निमादित्ति विति के वित्ता वित्ता वित्ति के तक निमादित्ति विति के वित्ता	<b>←</b>	-	30 सितम्बर	15 नवम्बर	31 दिसम्बर	15 जनवरी	28 फरवरी
ज्ञाशितां 30 सिताम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवती व ज्ञाशितां 30 सिताम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवती व ज्ञाशितां 30 सिताम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवती 15 जनवती 30 सिताम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवती 15 जनवत	2.	अध्यापको के बच्चों को देय छात्रवृत्ति	30 सितम्बर	15 नवम्बर	31 दिसम्बर	15 जनवरी	28 फरवरी
ब्राप्नितों 30 सितम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवती व कात्रवृत्ति 30 सितम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवती व कात्रवृत्ति 30 सितम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवती व कार्यवित्ता 30 सितम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवती व कार्यवित्ता 30 सितम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवती 15 फरवती व कार्यवित्ता 30 सितम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवती 15 फरवती 15 फरवती 15 जनवती 15 जनवत	'n		30 सितम्बर	15 नवम्बर	31 दिसम्बर	15 जनवरी	28 फरवरी
य खत्रवृत्ति 30 सितम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवती 30 सितम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवती 30 सितम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवती 15 जनवती 30 सितम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवती देव छात्रवृत्ति 30 सितम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवती 15 पर वर्ग तिसम्बर 15 जनवती 15 पर वर्ग तिसम्बर 15 जनवती जे शिषणा होत् तिमाग छत्या एवं निधारित तिथि के लिक माह में अदर तक तक तक तक तिमाग हात् तिमाग हात् तिमाग हात् तिभाग हात् तिमाग हात् विमाग हात् तिमाग हात् विमाग हात्	4.	_	30 सितम्बर	15 नवम्बर	31 दिसम्बर		
य छत्रत्रवृत्ति 30 सितम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवती 30 सितम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवती 15 जनवती 30 सितम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवती 15 जनवती 30 सितम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवती 15		को देय छात्रवृत्ति					
30 सितम्बर   15 नवम्बर   31 दिसम्बर   15 जनवरी   15	Ŋ	मृतकराज्य कर्मचारियो को देय छात्रवृत्ति	30 सितम्बर	15 नवम्बर	31 दिसम्बर	15 जनवरी	28 फरवरी
त्रवृत्ति     30 सितम्बर     15 नवम्बर     31 दिसम्बर     15 जनवती       देथ छात्रवृत्ति     30 सितम्बर     15 नवम्बर     31 दिसम्बर     15 जनवती       देथ छात्रवृत्ति     31 दिसम्बर     15 जनवती     15 जनवती       )     30 सितम्बर     15 नवम्बर     31 दिसम्बर     15 जनवती       )     30 सितम्बर     15 नवम्बर     31 दिसम्बर     15 जनवती       )     30 सितम्बर     15 नवम्बर     31 दिसम्बर     15 जनवती       )     30 सितम्बर     15 नवम्बर     31 दिसम्बर     15 जनवती       )     30 सितम्बर     15 नवम्बर     31 दिसम्बर     15 जनवती       )     30 सितम्बर     15 नवम्बर     31 दिसम्बर     15 जनवती       )     अधिकारित विधि के विधि के विधि के अंत     फरवरी के अंत     15 मार्च तक       अधिकार हाया     पक माह में अंदर     फरवरी के अंत     15 मार्च तक	6.	-	30 सितम्बर	15 नवम्बर	31 दिसम्बर	15 जनवरी	28 फरवरी
त्रवृत्त     30 सितम्बर     15 नवम्बर     31 दिसम्बर     15 जनवती       देय छात्रवृत्त     30 सितम्बर     15 नवम्बर     26 फरवती     15 जनवती       देय छात्रवृत्त     31 दिसम्बर     15 जनवती     15 जनवती       )     30 सितम्बर     15 नवम्बर     31 दिसम्बर     15 जनवती       )     30 सितम्बर     15 नवम्बर     31 दिसम्बर     15 जनवती       )     30 सितम्बर     15 नवम्बर     31 दिसम्बर     15 जनवती       )     30 सितम्बर     15 नवम्बर     31 दिसम्बर     15 जनवती       )     30 सितम्बर     15 नवम्बर     31 दिसम्बर     15 जनवती       )     30 सितम्बर     15 नवम्बर     15 जनवती     5       अधिकारित विभाग     15 नवम्बर     31 दिसम्बर     15 मार्च तक       अधिकार्ग प्रापित होय     फरवरी के अंत     15 मार्च तक     3       पक्ष माह में अंदर     तक     तक     तक     तक	7.	_	30 सितम्बर	15 नवम्बर	31 दिसम्बर	15 जनवरी	28 फरवरी
द्य छात्रवृत्ति 31 दिसम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 फरवरी व कंपवरी 15 फरवरी 15 फरवरी   15 फरवरी   15 फरवरी   15 फरवरी   15 फरवरी   15 जनवरी   1	οċ	_	30 सितम्बर	15 नवम्बर	31 दिसम्बर	15 जनवरी	28 फरवरी
देय छात्रवृत्ति 31 दिसम्बर 10 जनवरी 26 फरवरी 15 फरवरी भूनिकों के 30 सितम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवरी ) 30 सितम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवरी ) 30 सितम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवरी 30 सितम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवरी 30 सितम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवरी 30 सितम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवरी समाजिक न्याय एवं निधारित तिथि के जिल समाण कल्याण विभाग द्वार निधारित तिथि के जिल विभाग द्वारा निधारित तिथि के जिल निधारित तिथि के जिल्ल निधारित तिथि के अन्तर निधारित विधारित विधा	6	$\vdash$	30 सितम्बर	15 नवम्बर	31 दिसम्बर	15 जनवरी	28 फरवरी
सैनिकों के 30 सितम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवरी  ) 30 सितम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवरी  ) 30 सितम्बर 15 नवम्बर 31 दिसम्बर 15 जनवरी  अधिकारिताविभाग होए। समाजिक न्याय एवं निर्धारित तिथि के जंतर तक	10	भूतपूर्व सैनिक के पुत्रियों को	31 दिसम्बर	10 जनवरी	26 फरवरी	15 फरवरी	28/29 फरवरी
)       30 सितम्बर       15 नवम्बर       31 दिसम्बर       15 जनवरी         )       30 सितम्बर       15 नवम्बर       31 दिसम्बर       15 जनवरी         30 सितम्बर       15 नवम्बर       31 दिसम्बर       15 जनवरी         30 सितम्बर       15 नवम्बर       31 दिसम्बर       15 जनवरी         अधिकारिता विभाग       अग्रवेदन प्राप्ति हेतु       फरवरी के अंत       15 मार्च तक         समाज कत्याण       अग्रवेदन प्राप्ति हेतु       फरवरी के अंत       15 मार्च तक         समाज कत्याण       अग्रवेदन प्राप्ति हेतु       फरवरी के अंत       15 मार्च तक         विभाग द्वारा       निधारित तिथि के       तक       तक         निधारित तिथि       एक माह में अंदर       तक       तक	11		30 सितम्बर	15 नवम्बर	31 दिसम्बर	15 जनवरी	28 फरवरी
)       30 सितम्बर       15 नवम्बर       31 दिसम्बर       15 जनवरी         )       30 सितम्बर       15 नवम्बर       31 दिसम्बर       15 जनवरी         30 सितम्बर       15 नवम्बर       31 दिसम्बर       15 जनवरी         30 सितम्बर       15 नवम्बर       31 दिसम्बर       15 जनवरी         सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग       अधिकारित तिथि के अंतर       पर्वर माह में अंदर       पर माह में अंदर       पर माह में अंदर       15 मार्च तक       उत्ति मार्च तक		आशितों को देय छात्रवृत्ति					
30 सितम्बर       15 नवम्बर       31 दिसम्बर       15 जनवरी         30 सितम्बर       15 नवम्बर       31 दिसम्बर       15 जनवरी         अधिकारिताविभाग       आवेदन प्राप्ति हेत्       फरवरी के अंत       15 मार्च तक         समाज कल्याण       अवंदन प्राप्ति हेत्       फरवरी के अंत       15 मार्च तक         समाज कल्याण       अवंदन प्राप्ति हेत्       फरवरी के अंत       15 मार्च तक         समाज कल्याण       अवंदन प्राप्ति हेत्       फरवरी के अंत       15 मार्च तक         तिभाग द्वारा       निधारित तिथि के       तक       तक	12		30 सितम्बर	15 नवम्बर	31 दिसम्बर	15 जनवरी	28 फरवरी
30 सितम्बर       15 नवम्बर       31 दिसम्बर       15 जनवरी         समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग       आवेदन प्राप्ति हेत्       फरवरी के अंत       15 मार्च तक         समाज कल्याण       प्रक माह में अंदर       फरवरी के अंत       15 मार्च तक         समाज कल्याण       अवेदन प्राप्ति हेत्       फरवरी के अंत       15 मार्च तक         विभाग द्वारा       निर्धारित तिथि के       परक माह में अंदर       तक	13		30 सितम्बर	15 नवम्बर	31 दिसम्बर	15 जनवरी	28 फरवरी
अधिकारिता विभाग द्वारा       15 नवम्बर       31 दिसम्बर       15 मार्च तक         सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्रकार तिभाग द्वारा       भाष्ट्रेन प्राप्ति हेतु विभाग द्वारा       परवरी के अंत       15 मार्च तक       विभाग द्वारा       विभाग द्वारा       विभाग द्वारा       निर्धारित तिथि के विदे       परवरी के अंत       15 मार्च तक       उ	14		30 सितम्बर	15 नवम्बर	31 दिसम्बर	15 जनवरी	28 फरवरी
सामाजिक न्याय एवं       आवेदन प्राप्ति होतु       फरवरी के अंत       15 मार्च तक         अधिकारिता विभाग समाज कल्याण विभाग द्वारा निधारित तिथि निधारित तिथि       अवंदन प्राप्ति हेतु करवरी के अंत       फरवरी के अंत तक       15 मार्च तक       अवंदन तक	15		30 सितम्बर	15 नवम्बर	31 दिसम्बर	15 जनवरी	28 फरवरी
समाज कल्याण आवेदन प्राप्ति हेतु फरवरी के अंत 15 मार्च तक विभाग द्वारा निर्धारित तिथि के तक निर्धारित तिथि एक माह में अंदर	16.		सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित तिथि के एक माह में अंदर	फरवरी के अंत तक	15 मार्चे तक	31 मार्च तक
	17.	अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति	समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित तिथि	आवेंदन प्राप्ति हेतु निर्धारित तिथि के एक माह में अंदर	फरवरी के अंत तक	15 मार्च तक	31 मार्च तक



#### Ragging

The students and thier parents/guardians are requested to carefullt gothrough this section.

UGC reglulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Education Institution 2009 and as per the provison of anti-ragging verdict by the hon'ble Supreme Court vide SLP No (s) 24295 of 2006 University of Kerala Vs Council, Principals, Colleges Kerala & Ors (with SLP(c) No. 24296-99/2004 & W.P. (Crl) No. 173/2006 and SLP(c) No. 14356/2005)

#### Ragging means the following

Any conduct whether by words spoken or written or by an act whish has the effect of teasing, treating or handling with rudeness another student, indulging on rowdy or undisciplined activities which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in a fresher or a junior student or asking the students to do any act or perform something which such student will not in the ordinary course and which has the effect of causing or generating a sense of shame or embarassment so as to adversely affect the phtsique or psyche of a fresher or a junior student.

#### Punishable ingredients of ragging

- Abetment to ragging
- Criminal conspiracy to ragging
- Unlawful assembly and riting while ragging
- Public nuisance created during ragging
- Vilation of decency and morals through ragging injury to body, causing hurt or grievous hurt Wrongful restraint
- Use of criminal force
- Assaulty as well as sexual offences or unnatural offences
- Extortin, Criminal trespass, Offences against property, Criminal intimidation Attempts to commit any or all the above mentioned offences against the victim(s)
- Physical or psychological humiliation
- All other offenecs following from the definition of "Ragging"

# माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार रैगिंग दण्डनीय अपराध है

यदि रैगिंग का कोई प्रकरण महाविद्यालय प्रशासन की नजर में आयेगा तो सम्बन्धित छात्र / छात्रा को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया जायेगा। उसके पश्चात् यदि उसका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया तो महाविद्यालय प्रशासन छात्र / छात्रा को संस्था से निष्कासित कर देगा तथा विद्यार्थी के विरूद्ध पुलिस कार्यवाही भी करेगा।

18



# मौसम के बढ़लाव के साथ खानपान में भी करें परिवर्तन : डॉ. डागा

शिविर के चौथे दिन पाक कला एवं पाक सज्जा प्रतियोगिता का आर्

भास्कर न्यूज. रानीवाड़ा

रघुनाथ बिश्नोई मेमोरियल कॉलेज, रानीवाड़ा में चल रहे सात दिवसीय विशेष शिविर के चौथे दिन पाक कला एवं पाक सज्जा प्रतियोगिता का

करता एवं पाक सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अधिकारी डॉ. राजेश कुमार फुलवारिया ने बताया कि प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक हैंजीनियर रोहित कुमार विश्नोंह ने स्वर्यस्वकों को ओर से निर्मित ट्यंजनों एवं विविध प्रकार की दिश की सराहना करते हुए कहा कि पाक कला जीवन का एक

कर्ता के पांक भारत जानन के रिश् महत्त्वपूर्ण अंग है। निर्णायक डॉ. भागीरथ बिश्नोई प्रबंध सचिव कॉलेज, समाजसेवी शारदा देवी एवं प्रवक्ता कौशल्या निर्मायक डी. भागीरच विश्नोई छात्रकों में भ्रेमासिड, भवानीसिड, गीतम प्रबंध सचिव कॉलेज, समानसेवी प्रुप को प्रथम, गौरव कमलेश, अशोक शाददा देवी एवं प्रवक्ता कौशल्या प्रुप को द्वितीय तथा रवि, कार्तिक, राष्ट्रल उच्छा ने पाक कला एवं पाक सज्जा प्रुप को तृतीय विजेता घोषित किया। प्रतियोगिता के छात्रा वर्ग में पायल, इसी तरह डॉक्टर घेकरचंद कोमल, जानकी ग्रुप को प्रथम, ठाकर डागा। को उपस्थित में स्नास्थ्य एवं डिप्रल, शिखानी, मणी ग्रुप को द्वितीय चिकेत्सा संगोध्दी का आयोजन किया तथा कविता, दर्पिकत, सर्वारक ग्रुप को गया। जिसमें स्वर्यसेवकों ने डॉ. वृतीय विजेता घोषित किया। इसी प्रकार डागा से विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ



करते अधिकारी व महाविद्यालय स्टाफ।

छात्रवर्ग में प्रेमसिंह, भवानीसिंह, गौतम

तथा उनके लक्षणों व बचाव के बारे में जानकारी ली। डॉ. डागा ने मौसम के परिवर्तन से होने वाली विभिन्न बीमारियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि स्वस्थ रहने के लिए मौसम परिवर्तन के साथ खानपान में भी साजधानी बरतनी चाहिए समय समय पर चिकित्सकीय परामशे एवं जांच करवाते रहना चाहिए।

# सड़क सुरक्षा अर्थात स्वयं की सुरक्षा



# पाक कला जीवन का महत्व पूर्ण अंग है : विश्नोई



रानीवाड़ा। स्थानीय रघुनाथ रनोर्ड मेमोरियल कॉलेज विशेष शिविर के चौथे दिन पाक अधिकारी डॉ राजेश कमार पुलवारिया ने बताया कि ३स प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक इंजीनियर रोहित कुमार बिश्नोई ने स्वयंसेवकों द्वारा निर्मित व्यंजनों एवं विविध प्रकार की डीश की प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा कि पाक कला जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके माध्यम कार्तिक, राहुल ग्रूप को तृतीय विजेता घोषित किया। से लोगों के दिलों को जीता जा

सकता है। इस प्रतियोगिता वे निर्णायक डॉ भागीरथ बिश्नोई प्रबंध सचिव कॉलेज, समाजसेवी श्रीमती शारदा देवी एवं प्रवक्ता श्रीमती कौशल्या उब्बा ने पाक कला एवं पाक सज्जा प्रतियोगिता के छात्रावर्ग में पायल, कोमल, जानको ग्रृप को प्रथम, तकर डिम्मल, शिवानी, मणी ग्रूप को द्वितीय तथा कविता, विमारियों, उनके लक्षणों तथा बचाव के उपाय जाने। स्वयंसेवकों

दीपिका, सारिका ग्रूप को तृतीय विजेता घोषित किया। इसी प्रकार छात्रवर्ग में प्रेमसिंह, भवानीसिंह, गौतम ग्रूप को प्रथम, गौरव, कमलेश, अशोक ग्रूप को द्वितीय तथा रवि,

मौसम के बदलाव के साथ

हुए कहा कि हमें स्वस्थ रहने हेतु साथ खानपान में भी करे बदलाव - डॉ डागा एनएसएस के तत्वाधान में चाहिए और समय समय आयोजित स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संगोष्ठी का आयोजन डॉ धेवरचन्द चिकित्सकीय परामर्श एवं जांच करवाते रहना चाहिए। डागा के मख्य आतिथ्य में किया गया। इस संगोष्ठी में स्वयंसवकों ने डॉ डागा से विभिन्न प्रकार की

आग्तकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर कॉलेज प्रवक्ता सोमाराम खिलेरी, मॉगीराम मेघवाल, मुश्ताक खान सोयां, श्रोमती कौशल्या उब्बा मोहनलाल परमार व कीर्ति जोशी एवं एनएसएस के समस्त स्वंयसेवक

# रानीवाड़ा में श्री रघुनाथ बिश्नोई पुस्तकालय का लोकार्पण

भारकर न्यूज रानीवाड़ा

श्री रघुनाथ बिश्नोई सेवा संस्थान की ओर से संचालित श्री रघनाथ बिश्नोई मेमोरियल कॉलेज में पुस्तकालय के नवनिर्मित भवन का सांचीर विधायक सुखराम विश्नोई तथा रानीवाड़ा रानीवाड़ा, श्री रघुनाथ विश्रोई पुस्तकालर विधायक नारायणसिंह देवल ने कालोकार्पण करते श्रीतिश्वाणा लोकार्पण किया।

इस मीके विधायकों ने पुस्तकालय से ज्ञान अर्जित करने के साथ साथ इसे समय समय कार्यक्रम को पूर्व विधायक रतनाराम चौधरी, पूर्व सरपंच भूपसिंह डाभी, देवासी ने भी संबोधित किया। इस



का लोकार्पण करते अतिथिगण।

अवसर पर सेवा संस्थान के संरक्षक नरेन्द्र कुमार बिश्नोई, निर्देशक इंजी. रोहित बिश्नोई, प्रबंध सचिव पर अपडेट करने की बात कही। डॉ. भागीरथ बिश्नोई, महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. एस.के. उब्बा, उपाचार्य डॉ. राजेश फुलवारिया, प्रवक्ता अमीचंद जैन तथा सरपंच गोदाराम मांगीराम मेघवाल, सोमाराम खिलेरी,

ने बड़े उत्साह के साथ स्वास्थ्य

जागरूकता संबंधी जानकारी ली डॉ डागा ने मौसम के परिवर्तन वे

द्वारा होने वाली विभिन्न प्रकार की

विमारियों के बारे में जानका ी देते



रानीवाड़ा. स्थानीय श्री रघुनाथ बिस्नोई मेमोरियल ने बताया कि महाविद्यालय की एनएसएस इकाई की ओर से सात दिवसीय विशेष शिविर का उद्घाटन पूर्व प्रधान एवं संरक्षक नरेन्द्र कुमार बिश्नोई के मुख्य आरिक्टा, संस्था सचिव डॉ. भागीरथ बिश्नोई के विशिष्ट आरिक्टा व कॉलेज प्राचार्य डॉ. सरवेन्द्र कुमार उब्बा की अध्यक्षता में किया गया

# छात्रसंघ चुनाव लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला













विश्रोई मेमोरियल कालेज में शनिवार को होने वाले छात्र संघ चुनावों को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। चुनाव निर्वाचन अधिकारी डॉ. एस. के. उब्बा ने बताया कि चुनाव में सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक विद्यार्थी मतदान कर सकेंगे। इसके लिए दो बुध बनाए गए हैं। दोपहर दो बजे बाद मतगणना प्रारंभ होगी। मतदान के लिए परिचय पत्र को ही वैध माना जाएगा। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न करवाने को लेकर मुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। छात्रसंघ चुनाव प्रभारी सोमाराम विश्रोई ने बताया कि शुक्रवार को कॉलेज परिसर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। निसं/एसं

सूचना -पुस्तिका मात्र सामान्य जानकारी तथा निर्देशों का प्रस्तुतीकरण है। यद्यपि इसमें अधिकांश नियमों, पद्धतियों तथा अन्य समुचित निर्णयों को जिनका सम्बन्ध प्रवेश आदि से है, सम्मिलित करने में अपेक्षित सावधानी रखी गई है, फिर भी किसी भी स्थिति में महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर लिये गये एतद् विषयक निर्णय ही अन्ततः मान्य होंगे।



Shri Raghunathji attending a conference in Delhi with fellow dignitaries



Shri Raghunathji and dignitaries doing inspection of Raniwara Dairy




Shri Raghunathji Bishnoi (1927-1989)



Honb'l Chief Justice of India Shri J.S. Verma and Shri Sesh Ram Shri Narendraji honoring Honb's Chief Justice of India Ola paying there homage to statue of Shri Raghunathji Raniwara







# Shri Raghunath Bishnoi Memorial College

(Unit of : Shri Raghunath Bishnoi Seva Sansthan)

Raniwara, Dist-Jalore, Rajasthan, Pin 343040 Contact No.: 232080, 98298-14801, 94145-88001

Email: rvmcraniwara@gmail.com